परिशिष्ट ग

देखिए नियम 26

प्राधिकारी का नाम ..... . जिसे ..... पर अधिकारिता है। वास्तुविद /संरचना इंजीनियर /इंजीनियर /पर्यवेक्षक / नगर निवेशक के रूप में कार्य करने के लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984

के अधीनी जारी की गई अनुज्ञप्ति का प्रारूप

(देखिये नियम 7)

अनुज्ञप्ति ..... तारीख .....
यह अनुज्ञप्ति श्री /मेसर्स ..... (नाम तथा पता)
..... को .....
की अधिकारिता के भीतर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी का नाम (वास्तुविद /संरचना इंजीनियर /इंजीनियर /पर्यवेक्षक /नगर निवेशक के कर्तव्यों का पालन करने के लिए जैसा कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 में दिया गया है मंजूर की जाती है।

यह अनुज्ञप्ति दिनांक ..... को समाप्त होगी। अनुप्तिधारी ने रसीद क्रमांक .....
पुस्तक क्रमांक ..... दिनांक के अनुसार ..... रूपये की फीस का भुगतान किया है।

यह अनुज्ञप्ति नीचे दी गयी शर्तों के अध्यधीन होगी।

स्थान ..... प्राधिकारी की मोहर

.....

अनुज्ञप्ति मंजूर करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम

दिनांक

शर्तें

1 अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय है।

2 अनुज्ञप्तिधारी अपने कार्यालय में किसी सहजगोचर स्थान पर इस अनुज्ञप्ति की मूल प्रति लगायेगा और सभी समुचित समयों पर ..... के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा (अधिकारिता रखने वाला अधिकारी) उसका निरीक्षण किया जा सकेगा।

3 अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख के पूर्व उसका नवीकरण करायेगा।

(4) अनुज्ञप्तिधारी मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के उपबंध का पालन करेगा और इस अनुज्ञप्ति के निबंधन के अंतर्गत कार्य करेगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी की सक्षमता नीचे दिये अनुसार सीमित होगी :–

(क) वास्तुविद : अनुज्ञप्त वास्तुविद नीचे दिये अनुसार भवन परमिट से संबंधित कार्य करने के लिए सक्षम होगा और निम्नलिखित को प्रस्तुत करने का अधिकारी होगा :–

(क) भवन परमिट से संबंधित सभी रेखांक तथा जानकारी।

(ख) 500 वर्गमीटर तक के भूखण्ड पर तथा तीन मंजिल वाले 11 मीटर ऊंचे आवासीय भवनों के लिए संरचनात्मक ब्यौरे तथा संगणनाएं।

(ग) सभी भवनों के लिए पर्यवेक्षण एवं पूर्णता प्रमाण पत्र।

(घ) एक हेक्टेयर तक के क्षेत्र से संबंधित विकास परमिट सहित सभी रेखांक तथा संबंधित जानकारी और

(ड़) एक हेक्टेयर तक भूमि क्षेत्र के विकास के लिए पर्यवेक्षण प्रमाण पत्र।

(ख) संरचना इंजीनियर :– अनुज्ञप्त संरचना इंजीनियर, भवन निर्माण आदि की अनुज्ञा से संबंधित कार्य करने के लिए सक्षम होगा और निम्नलिखित प्रस्तुत करने के लिए हकदार होगा –

(क) आकार तथा ऊंचाई पर ध्यान दिये बिना, ऐसे सभी भवनों के लिए अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक तथा जानकारी,

(ख) समस्त भवनों के लिए संरचना ब्यौरे (एवं संगणनाएं)

(ग) समस्त भवनों के लिए पर्यवेक्षण एवं पूर्णता प्रमाण पत्र

(घ) एक हेक्टेयर तक क्षेत्र के विकास के लिए अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक तथा संबंधित जानकारी

(ड़) एक हेक्टेयर तक भूमि क्षेत्र के विकास के लिए पर्यवेक्षण प्रमाण पत्र।

(ग) इंजीनियर – अनुज्ञप्त इंजीनियर नीचे दिये अनुसार भवन परमिट से संबंधित कार्य करने के लिए सक्षम होगा और निम्नलिखित प्रस्तुत करने के लिए हकदार होगा :–

(क) भवन परमिट से संबंधित सभी रेखांक तथा जानकारी।

(ख) 500 वर्गमीटर तथा चार मंजिलें (15 मीटर ऊंचाई) तक के भवनों के लिए संरचनात्मक ब्यौरे तथा संगणनाएं।

(ग) सभी भवनों के लिए पर्यवेक्षण एवं पूर्णता प्रमाण पत्र।

(घ) एक हेक्टेयर तक के क्षेत्र से संबंधित विकास परमिट सहित सभी रेखांक तथा संबंधित जानकारी और

(ड़) एक हेक्टेयर तक भूमि क्षेत्र के विकास के लिए पर्यवेक्षण प्रमाण पत्र।

(घ) पर्यवेक्षक – अनुज्ञप्ति पर्यवेक्षक निम्नलिखित प्रस्तुत करने के लिए हकदार होगा :–

(क) 200 वर्ग मीटर तथा दो मंजिला वाले अथवा 7–5 मीटर ऊंचे आवासीय भवनों के लिए भवन परमिट से संबंधित सभी रेखांक तथा संबंधित जानकारी

(ख) उन भवनों के लिए जो (क) में दिये गये पर्यवेक्षण प्रमाण पत्र

(ड़) नगर निवेशक : अनुज्ञापित नगर निवेशक निम्नलिखित प्रस्तुत करने के लिए हकदार होगा :–

(क) सभी क्षेत्रों के विकास परमिट से संबंधित सभी रेखांक तथा जानकारी।

(ख) सभी भवनों के लिए पर्यवेक्षण एवं पूर्णता प्रमाण पत्र।

(च) समूह या अभिकरण :– जब कोई अभिकरण या कोई अर्हता प्राप्त वास्तुविद /इंजीनियर / नगर निवेशक का समूह कार्य कर रहा हो, तब कार्य की अर्हता और सक्षमता वैयक्तिक अर्हताओं और सक्षमता का समन्वय होगा।

(6) अनुज्ञप्तिधारी रेखांक तैयार करने तथा उनके द्वारा किये गये पर्यवेक्षण कार्य संबंधी सभी संगत अभिलेख रखेगा। इस अभिलेख का निरीक्षण अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा।

(7) अनुज्ञप्तिधारी तैयार किये गये प्रत्येक दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर करेगा, नाम और अनुज्ञप्ति क्रमांक लिखे और अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(8) यह अनुज्ञप्ति मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन होगा और इन शर्तों में से किसी शर्त का भंग होने पर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध की जाने वाली अन्य विधिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह अनुज्ञप्ति रद्द हो जायेंगी।